अनुसूची
उतना क्षेत्र जो उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, सिक्किम, असम तथा भारत - नेपाल और भारत – भूटान सीमा के साथ लगने वाला अरूणाचल प्रदेश राज्य में 15 किलोमीटर की बेल्ट के अन्तर्गत सम्मिलित है तथा इसके संचालन के किसी क्षेत्र में है।

[फा. सं. 394/52/2009- सी.शु. (ए एस)]

ए. सी. मलिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014

No. 99/2014-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2777(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby entrusts to the officers and subordinate officers of the Sashastra Seema Bal constituted under section 4 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and mentioned in column (2) of the Table below,the functions of an officer of customs specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table and directs that each such officer and subordinate officer shall exercise the functions of an officer of customs within the local limits of the areas specified in the Schedule hereto annexed , namely:—

TABLE

Sl. No.	Designation of officer	Functions under the provisions of the Customs Act, 1962
(1)	(2)	(3)
1.	All Commandants, 2nd Commandants, Deputy Commandants and Assistant Commandants .	Functions under sections 100 to 103 (both inclusive), 106, 107, 109 and 110.
2.	All Inspectors and Sub-Inspectors.	Functions under sections 100, 102, 106, 107 and 110.
3.	All Assistant Sub-Inspectors.	Functions under sections 100 and 106.

SCHEDULE
So much of the area comprised within a belt of 15 kilometers in the States of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh running along the Indo-Nepal and Indo-Bhutan Border, and in any area of its operation.

[F. No. 394/52/2009- Cus. (AS)]

A. C. MALLICK, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2217] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2014/कार्तिक 7, 1936
No. 2217] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सं. 99/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2777(अ).–सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 4 के अन्तर्गत गठित सशस्त्र सीमाबल के अधिकारियों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को तथा नीचे तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उक्त तालिका के कॉलम 3 में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क अधिकारी के कार्य सौंपती है तथा निर्देश देती है कि ऐसे अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमा के भीतर सीमाशुल्क के अधिकारी के कार्य करेंगे, नामतः:—

तालिका

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अन्तर्गत कार्य
1.	सभी कमांडेंट, द्वितीय कमांडेंट, कमांडेंट उप कमांडेंट तथा सहायक कमांडेंट,	(1) धारा 100 से 103 (दोनों सम्मिलित), 106, 107, 109, तथा 110 के अन्तर्गत कार्य
2.	सभी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक	धारा 100, 102, 106, 107 तथा 110 के अन्तर्गत कार्य
3	सभी सहायक उप निरीक्षक	धारा 100 तथा 106 के अन्तर्गत कार्य